न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी (अतिरिक्त जिला कलक्टर) बांसवाड़ा (राजस्थान)
पीठासीन अधिकारी – नरेश बुनकर, RAS
अतिरिक्त जिला कलक्टर, बांसवाड़ा
प्रकरण संख्या : 51/2022
रजिस्ट्रेशन नं. :2022/63

राजस्थान राज्य जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी बॉसवाडा (राज)	बनाम	अभियुक्त :– 1. किर्तिश पुत्र श्री राजमलजी जैन मैसर्स– गोमतेश्वर किराणा स्टोर, सदर बाजार पालोदा, तह–गढी, जिला–बांसवाडा 2. Ajit Kumar Jain M/s-Parshvanath Traders, Green India Complex, Rajtalab Road, Banswara 327001 3. Ritesh Panchal s/o Sh. Govardhan lal M/s- Hari Industries, 6/184 Behind Hanuman Temple, khandu Colony, Banswara 327001

अपराध अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2(ii) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006, नियम 2011

निर्णय

दिनांक 11–10–2022

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि श्री दिलीप सिंह यादव खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बॉसवाडा (राज.) के द्वारा दिनांक 13–09–2022 को यह प्रकरण इस आशय का पेश किया गया कि दिनांक 23–02–2022 को 11.30 ए.एम. बजे बाहैसियत खाद्य सुरक्षा अधिकारी खाद्य पदार्थो की जॉच हेतु **मैसर्स –गोमतेश्वर किराणा स्टोर, सदर बाजार पालोदा, तह–गढी, जिला–बांसवाडा** पर पहुंचा। इस समय संस्थान पर **किर्तिश पुत्र श्री राजमलजी जैन** उपस्थित थे। विक्रेता की दुकान का निरीक्षण करने पर **Suji (Brand- Shree shubh laxmi) के 28 पैक पैकेट** प्रत्येक पैकेट 500 ग्राम का आम जनता को विक्रय हेतु पाया। इसमें मिलावट का शक होने पर विक्रेता को गवाहान की उपस्थिति में फार्म नं.5ए पर सूचना देते हुए **Suji (Brand- Shree shubh** [illegible] **4 पैकेट** वास्ते नमुना जॉच हेतु खरीदा तथा इनकी कीमत 120 [illegible] की। जिस पर विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर [illegible]। नमुना जॉच हेतु [illegible] **Suji (Brand- Shree shubh laxmi) के पैकेट** [illegible] चार भाग करके मौके [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Bunkar
Date: 2022.10.17 09:52:37 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with Oken Scanner

किये गये लेबल, जिस पर डी.ओ एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बॉसवाडा का कोड क्रमांक **W-958** लिखा व नमूने का विवरण अंकित किया गया। प्रत्येक लेबल पर मालिक तथा गवाहान के भी हस्ताक्षर करवाये गये तैयार लेबल प्रत्येक नमूना भाग पर चिपकाया गया। प्रत्येक नमूने को नियमानुसार सील बन्द किया। उक्त नमूना भाग मय फार्म नं. 6 की प्रति आउटकवर में सील बन्द कर सील मोहर कर जांच हेतु अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधिकारी, बॉसवाडा एवं खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बॉसवाडा को जमा करवाया।

अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधिकारी, बॉसवाडा के पत्रांक एफ.एस.एस.ए/2022/101–102 दिनांक 24–03–2022 एव खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बॉसवाडा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 250 दिनांक 10–03–2022 अनुसार विक्रेता से वास्ते नमूना जांच हेतु क्रय किया **Suji (Brand-Shree shubh laxmi)** का नमुना कोड क्रमांक **W-958** Misbranded under section 3(1)(zf)(C)(I) of food safety and standerds act 2006 पाया गया। विक्रेता द्वारा **Suji (Brand- Shree shubh laxmi)** का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है जिस पर उक्त अधिनियम की धारा 52 के अन्तर्गत जुर्माने से दण्डित करने निवेदन किया।

प्रकरण दिनांक 13–09–2022 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर आरोपीगणो को जरिये समन तलब किया गया।

दिनांक 11.10.2022 को अप्रार्थीगणो ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत अपना अपराध स्वीकार कर निवेदन किया कि न्यायालय जो भी जुर्माना करे, वह स्वीकार है। प्रकरण में आरोपीगणो द्वारा अपराध स्वीकार कर लेने के कारण अन्य किसी साक्ष्य की अब आवश्यकता नहीं रहती है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं अभियुक्तगणो को सुना। पत्रावली में उपलब्ध अभिलेखों का भी गहनता पूर्वक अवलोकन किया एवं उस पर मनन किया। अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधिकारी, बॉसवाडा के पत्रांक एफ.एस.एस.ए/2022/101–102 दिनांक 24–03–2022 एव खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बॉसवाडा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 250 दिनांक 10–03–2022 अनुसार विक्रेता से वास्ते नमूना जांच हेतु क्रय किया **Suji (Brand- Shree shubh laxmi)** का नमुना कोड क्रमांक **W-958** Misbranded under section 3(1)(zf)(C)(I) of food safety and standerds act 2006 पाया गया है। प्रकरण में अभियुक्तगणो द्वारा स्वयं अपराध

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Bunkar
Date: 2022.10.17 09:42:37 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with Oken Scanner

वीकार किया है। ऐसी स्थिति में अब किसी अन्य साक्ष्य की आवश्यकता प्रतित नही होती हैं। इस कारण प्रकरण का अंतिम निस्तारण किया जाना हम उचित समझते है।

अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 3(1)(zf)(C)(I) के तहत मिसब्राण्डेड **Suji (Brand- Shree shubh laxmi)** को विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन होना पाया गया। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम–2006 व नियम 2011 की धारा 52 में निर्धारित है। आरोपीगणो को दोष सिद्ध घोषित किया जाकर 1. **किर्तिश पुत्र श्री राजमलजी जैन मैसर्स– गोमतेश्वर किराणा स्टोर, सदर बाजार पालोदा, तह–गढी, जिला–बांसवाडा को रूपये 15,000/– (अक्षरे रू पंद्रह हजार मात्र), 2. Ajit Kumar Jain M/s-Parshvanath Traders, Green India Complex, Rajtalab Road, Banswara को रूपये 15,000/– (अक्षरे रू पंद्रह हजार मात्र), 3. Ritesh Panchal s/o Sh. Govardhan lal M/s- Hari Industries, 6/184 Behind Hanuman Temple, khandu Colony, Banswara को रूपये 30,000/– (अक्षरे रू तीस हजार मात्र),** के अर्थ दण्ड से दण्डित किया जाता है। खाद्य सुरक्षा एवं मानक नियम 2011 के 3.1.2 के बिन्दू संख्या 3 में उल्लेखित आय मद 0210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, 04–लोक स्वास्थ्य, 800–अन्य प्राप्तियां, (03)–खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञा–पत्र शुल्क आदि में उक्त जुर्माना राशि तीन दिवस में राजकोष में जमा कराकर चालान की प्रति इस न्यायालय में पेश करे। खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बॉसवाडा आरोपी को जुर्माना राशि का चालान जमा कराने पाबंद करे तथा जमा राशि का चालान प्राप्त कर प्रति इस न्यायालय में पेश करे।

निर्णय आज दिनांक 11.10.2022 खुले न्यायालय सुनाया गया।

11/10

(नरेश बुनकर)
न्याय निर्णयन अधिकारी
(अति0 जिला कलक्टर)
बांसवाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Naresh Bunkar
Date: 2022.10.17 09:52:37 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with Oken Scanner